...यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

...लास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस.

...स्व म्युटेशन अपील सं. 04/2019

...ोलकर्ता : धनपतराम पुत्र कालुराम जाति मेगवाल निवासी बोरावास तह. पचपदरा

बनाम

...स्पोड़ेन्ट : 1. ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा जरीये सरपंच ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा
2. बींजाराम पुत्र श्री आईदानजी जाति मेगवंशी निवासी नवोड़ा बेरा
3. श्रीमती सुआ पत्नी बीजाराम जाति मेगवंशी निवासी नवोड़ा बेरा

अपील विरूद्ध म्युटेशन सं. 831

दिनांक 24.12.2019

निर्णय

उपस्थित : 1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री उमरद्धीन मेहर अधिवक्ता रेस्पोड़ेन्ट सं. 01 की ओर से।

अपीलांट ने न्यायालय में वर्तमान अपील अन्तर्गत धारा 75 आरएलआरएक्ट बाबत् निरस्त करने म्युटेशन इस आशय की पेश की, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं, सरहद मौजा नवोड़ाबेरा पटवार हल्का नवोड़ा बेरा की राजस्व सीमा में कृषि भुमि खेत खसरा सं. 1568 कमश रकबा 53.01 बीघा, किस्म बारानी सोयम अवस्थित रहा है, उपरोक्त कृषि भूमियों में रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 बीजांराम का 320/1061 में से 1/3 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का रहा, तदोपरान्त रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 ने अपना उक्त हिस्से में से अपनी जायज जरूरत अनुसार अपीलांट को सप्रतिफल जरीये पंजीकृत विकय विलेख सं. 2014000897 दिनांक 22.12.2014 को 05 बीघा भूमि को बेचान किया, और मौके पर कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दिया, जिस पर अपीलांट ने बेचान के आधार पर अपना नाम राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद करने हेतु हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा को रजिस्ट्री की नकल एंव आवश्यक दस्तावेज दिये, तब हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा द्वारा अपीलांट को आश्वासन दिया गया, कि राजस्व रेकर्ड़ में रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 के नाम के स्थान पर बेचानसुदा भूमि के रकबे का अमल दरामद कर दिया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा बेचाननामा की प्रविष्टियो का अंकन राजस्व रेकर्ड़ में नही किया गया। रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 को जरीये पंजीकृत विकय विलेख अपीलांट को जो हिस्सा बेचान किया उसके पश्चात बेचानसुदा भुंमि को पुनः बेचान या हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज रही गलत एवं अवैध प्रविष्टियो की आड़ में रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 ने मुझ अपीलान्ट के साथ धोखा करने की बदनियति से बिना प्रतिफल का कागजी एवं हवाई बेचान नामा मिलावट कर अपनी पत्नी श्रीमति सुकीदेवी (रेस्पोड़ेन्ट सं. 03) का नाम पर लिखवाकर धोखाधड़ी पुर्वक अवैध व अनुचित तरीके से उसके आधार पर अपीलांधिन म्युटेशन सं. 831 पारित करवा दिया, जिसका कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्टान को नही था, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि हकों का अन्तरण, हकों का सृजन पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त होते है, म्युटेशन एक फिस्कल प्रकृति की कार्यवाही है, जिससे हकों का न तो सृजन होता है और न ही निर्वापन ही होता है, फिर भी अपीलांट के पक्ष में बेचाननामा दिनांक 22.04.2014 के प्रंभावी रहते पश्चातवर्ती शुन्य प्रभाव के बेचान के आधार पर अपीलाधिन म्युटेशन पारित करने से अपीलांट के विधिक हक प्रतिकुल रूप से प्रभावी हुए है। सरपंच को म्युटेशन स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था, म्युटेशन का आदेश ग्राम पंचायत के द्वारा सर्व सहमति से पारित किया जाता है। वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है, कि ग्राम पंचायत के द्वारा म्युटेशन पारित नही किया। रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 ने अपना उक्त

.....2...पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

05 बीघा हिस्सा अपनी जायज जरूरत अनुसार अपीलांट को सप्रतिफल जरीये पंजीकृत विकय विलेख सं. 2014000897 दिनांक 22.12.2014 को बेचान किया, और मौके पर कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दिया। इसलिये बाद खरीद अपीलाधिन कृषि भूमि के 5 बीघा हिस्से पर अपीलांट के हक हित व अधिकार निहित हो गये, जो कभी भी विनिहित नही हुए, अपीलांट के हक में पंजीकृत दस्तावेज के प्रभावी रहते पंजीकृत दस्तावेज में बेचानसुदा 5 बीघा रकबे का म्युटेशन किसी अन्य के नाम खोलकर पारित करने में विधि एवं तथ्यो की भारी भूल की है, रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये बेचान की जानकारी रेस्पोड़ेन्ट सं. 03 जो रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 की पत्नी है, को प्रारम्भ से ही रही व है, फिर भी अपीलांट के साथ धोखा करने की नियत से राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज अवैध प्रविष्टियो का फायदा उठाकर बिना प्रतिफल का कागजी एवं हवाई बेचाननामा की रचना की गई, एवं ऐसे अवैध बेचाननामा के आधार पर अपीलाधिन म्युटेशन पारित किया गया, ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपीलीय न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप नितान्त आवश्यक है। अपीलांट ने अपने पक्ष में हुए बेचान की प्रविष्टियो को राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद करने हेतु हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा को रजिस्ट्री की नकल एंव आवश्यक दस्तावेज दिये, तब हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा द्वारा अपीलांट को आश्वासन दिया गया कि राजस्व रेकर्ड़ में रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 के नाम के स्थान पर अपीलांट का नाम अमल दरामद कर दिया जावेगा, किन्तु हल्का पटवारी द्वारा बेचान की प्रविष्टियो का अंकन राजस्व रेकर्ड़ में नही किया गया। रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 के पास 5 बीघा भुमि का हिस्सा जरीये पंजीकृत विकय विलेख बेचान करने के पश्चात उक्त 5 बीघा भूमि को बेचान या हस्तान्तरण करने हेतु कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट सं. 02 के पास शेष नही रहे, फिर भी राजस्व रेकर्ड़ में दर्ज रही गलत एवं अवैध प्रविष्टियो की आड़ में रेस्पोड़ेन्ट सं. 02 ने बिना प्रतिफल का कागजी एवं हवाई बेचान नामा अपनी पत्नी श्रीमति सुकी (रेस्पोड़ेन्ट सं. 03) के नाम पर लिखवाकर धोखाधड़ी पुर्वक अवैध व अनुचित तरीके से अपीलांधिन म्युटेशन सं. 831 पारित करावा दिया, जिसका कोई अधिकार रेस्पोड़ेन्टान के पास नही था, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि फिस्कल प्रकृति के नामान्तरणकरण से किसी भी पक्ष के हको का न तो सर्जन होता है, और न ही निर्वापन ही होता है, क्योकि अपीलाधिन भूमि में अपीलांट के विधिक हक बाद खरीद अपीलांट को प्राप्त होकर निहित हो गये जो कभी भी विनिहित नही हुए अपीलकर्ता ने अपीलांधिन कृषि भूमि खरीद करने के पश्चात हल्का पटवारी नवोड़ा बेरा को म्युटेशन पारित करने हेतु कहा, तब अपीलकर्ता को यह कहा गया कि अपीलकर्ता के नाम नामान्तरण पारित कर दिया गया है, जिस पर दिनांक 26.06.2019 को राजस्व रेकर्ड़ की नकले प्राप्त करने पर उक्त तथ्य की प्रथम बार जानकारी हुई कि अपीलकर्ता के नाम कोई म्युटेशन पारित नही किया जाकर रेस्पोड़ेन्ट सं 03 के नाम अवैध तरीके से पारित कर दिया गया है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि प्रकरण में प्रश्नगत विवाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए, तकनीकी बिन्दुओ पर प्रकरण का निस्तारण नही होना चाहिए, जहाँ प्रकरण गुणावगुणो पर सुदृढ मामला हो, परिसीमा का बिन्दु गौण हो जाता है, अलावा इसके जो कृत्य प्रांरम्भ से शुन्य हो, ऐसे मामलो में परिसीमा का बिन्दु लागू नही होता है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्ड़ोन कर अपील अन्दरमियाद सुमार की जावे, रफाये हुज्जत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज कर रेस्पोड़टान को जरीये सम्मन तलब किया, रेस्पोड़ेन्ट सं. 2 व 3 बावजुद तामील अनुपस्थित रहे, जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने बहस सुनी पत्रावली व सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है, कि भुमि खसरा सं. 1568 में रेस्पोड़ेट सं. 02 बीजाराम का 320/1061 में से 1/3 हिस्सा खातेदारी का था, उक्त हिस्से में से जरीये पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 22.12.2014 को 05 बीघा भूमि अपीलांट को बेचान की गई, अपीलांट का नाम

...3..पर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त बेचाननामा के आधार पर दर्ज नही हुआ, इस कारण रेस्पोडेंट सं. 02 ने बेचानसुदा रकबे का अपनी पत्नी के नाम पुनः बेचाननामा दिनांक 16.01.2019 को किया गया है, जो अवैध है, क्योकि रेस्पोडेन्ट सं. 02 के पास दिनांक 22.12.2014 के बाद बेचने योग्य 05 बीघा भूमि ही नही थी, मात्र म्युटेशन दर्ज नही होने से किसी भी खातेदार के हक समाप्त नही होते है।

अपीलांट ने वर्तमान अपील दिनांक 04.07.2019 को पेश की है, म्युटेशन स्वीकृत होने से 30 दिनो की अवधि में होना आवश्यक है, किन्तु अपील अपीलांट गुणावगुणो पर सशक्त होने से अपील अपीलांट अन्दरम्याद शुमार करना न्यायोचित प्रतित होता है। धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार कर अपील अन्दम्याद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर म्युटेशन सं. 831 तारीख 26.01.2019 सरंपच ग्राम पंचायत नवोड़ा बेरा द्वारा पारित को निरस्त अपास्त किया जाता है, तथा तहसीलदार पचपदरा को अपील इस निर्देश के साथ रिमाण्ड़ की जाती है, कि मौजा नवोड़ा बेरा के खसरा सं. 1568 रकबा 53.01 बीघा, किस्म बारानी सोयम में अपीलांट व रेस्पोड़ेन्टान को सुनकर व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन कर नियमानुसार म्युटेशन दर्ज करने की कार्यवाही करें। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned by CamScanner